

(a) भारत में धर्म निरपेक्षता का अर्थ

भारत में धर्मनिरपेक्षता को यूरोप के अर्थ से भिन्न एक विशिष्ट अर्थ में अपनाया गया है, जहाँ विभिन्न धर्म के लोग, समानता, स्वतंत्रता एवं सहिष्णुता के साथ, बिना एक दूसरे के धार्मिक विश्वास एवं मान्यताओं में बाधा उत्पन्न किये, एक राज्य का निर्माण करें, जिसका अपना कोई धर्म न हो और जिसके लिए सभी धर्म समान हों।

आजादी के बाद इसी विशिष्ट अर्थ में भारतीय संविधान में, भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है जिसके तहत भारत राज्य, किसी विशिष्ट धर्म से संबंधित नहीं है और राज्य एवं धर्म में पृथक्कता विद्यमान है।

(b) भारत में धर्म निरपेक्षता की प्रकृति

भारत में धर्म निरपेक्षता की प्रकृति पर दो स्वरूपों के संदर्भ में विचार किया जा सकता है:-

- 1- सैद्धांतिक स्वरूप
- 2- व्यवहारिक स्वरूप

भारत में धर्मनिरपेक्षता का सैद्धांतिक/संबैधानिक स्वरूप

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, भारत के लिए एक "धर्मनिरपेक्ष राज्य" की घोषणा की गयी है जहाँ भारत राज्य का भपना कोई धर्म नहीं है।
2. संविधान के समक्ष सभी समान हैं और राज्य बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान अधिकार एवं अवसर की समानता उपलब्ध करवाता है।
(अनुच्छेद-14-18)
3. सभी का अपने धर्म पालन की स्वतंत्रता है
(अनुच्छेद-25)
4. राज्य किसी के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। (अनुच्छेद-26-27))
5. राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान धर्म से पृथक् होंगे। (अनुच्छेद-28)
- (6) राज्य किसी धार्मिक समुदाय पर अपनी संस्कृति नहीं थोपेगा और सभी धार्मिक समूहों को अपना शिक्षण संस्थान संचालित

करने की स्वतंत्रता होगी (अनुच्छेद-30)

(2) भारत में धर्मनिरपेक्षता का व्यवहारिक सिद्धांत।

(i) राज्य एवं धर्म में कानूनी पृथक्कता के बावजूद, राज्य एवं सरकार द्वारा कल्याण के नाम पर किसी विशेष धार्मिक समूह पर खर्च किया जाता है।

(ii) सरकार द्वारा अल्पसंख्यक धर्म के शिक्षण संस्थान को अनुदान दिया जाता है।

(iii) अल्पसंख्यकों द्वारा धर्म के आधार पर विशेष सुविधाओं (आरक्षण आदि) की माँग की जाती है और राज्य द्वारा भी उन्हें पूरा किया जाता है।

(iv) तुष्टीकरण की नीति एवं पुनर्जीवना के लिए धार्मिक समूहों को, धर्म के नाम पर विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं और राजनीतिक दलों द्वारा धर्म के आधार पर मतों की लामबंदी की जाती है।

(v) भारत में आज भी समान नागरिक संहिता का अभाव है और कुछ धार्मिक समूहों के लिए व्यक्तिगत कानून (Personal law) का प्रावधान है।

(C)

समीक्षा

भारत में धर्मनिरपेक्षता के उपरोक्त दोनों सन्दर्भों में भिन्नता के कारण भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति पर प्रश्न उठाया जाता है और कुछ लोगों द्वारा तो यहाँ तक कहा जाता है कि -

“भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है”

इस सन्दर्भ में निष्कर्ष है कि -

भारत निश्चित रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो स्वयं को तटस्थ बनाए रखते हुए सभी धर्मावलंबियों को अपने-अपने धार्मिक मान्यताओं के पालन की हूट देकर, विविधता में एकता के आदर्श की ओर अग्रसर है और दूसरी तरफ, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के प्रसार के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक समाज के निर्माण की दिशा में भी क्रियाशील है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता का व्यवहारिक स्वरूप निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्षता विरोधी प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि, लोकतांत्रिक राज्य समाज के अनुरूप होता है और जब तक भारतीय राज्य से

पूर्ण धर्मनिरपेक्षता क्रियाकलापों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

इसीलिए भारत राज्य की गतिविधियों कई सन्दर्भों में धर्मनिरपेक्षता विरोधी प्रतीत होती है, जो एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण के साथ स्वतः पूर्ण धर्मनिरपेक्ष हो जायेगी।

पारसिमी धर्मनिरपेक्षता एवं भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अन्तर

1. पारसिमी समाज में धर्मनिरपेक्षता - तर्क संगत एवं आधुनिक हो रहे समाज से उत्पन्न, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता - एक मुख्यतः धर्म प्रधान समाज में राज्य द्वारा लागू
2. पारसिमी धर्म निरपेक्षता - राज्य पर चर्च के अत्यधिक प्रभाव को ध्यान में रखकर, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता - बहुधार्मिक भारतीय समाज की प्रकृति एवं तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर
3. पारसिमी धर्मनिरपेक्षता - सभी धर्मों के प्राति तत्स्थता के लिहाज पर आधारित,

जबकि भारतीय धर्म निरपेक्षता - सर्वधर्म सम्भाव
के सिद्धांत पर आधारित ।

4- पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता - पूर्णतः अलग्गठगठनीनकायत्मक
धर्म निरपेक्षता,

जबकि भारतीय धर्म निरपेक्षता में - सभी धर्मों
का सम्मान और अन्तर धार्मिक समानता पर
बल ।

5. पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता - राज्य और धर्म के बीच
पूर्ण पृथक्ता पर बल,

जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में - राज्य समर्थित
धार्मिक सुधार पर बल और इस हेतु राज्य
के संतुलित हस्तक्षेप का समर्थन (सबरीमाला
मंदिर)

भारत में धर्मनिरपेक्षता / धर्मनिरपेक्षीकरण
का प्रभाव

- विश्व एवं समाज के प्रति लोगों का धार्मिक
व्यक्तिगत कमजोर हुआ है ।

- धर्म आधारित मान्यताओं एवं अंधविश्वास कमजोर
हुआ है ।

- विवाह का धार्मिक संस्कारगत पक्ष कमजोर हुआ है।
- जाति व्यवस्था का कर्मकाण्डीय पक्ष कमजोर हुआ है।
- धर्म द्वारा पोषित परम्परागत सामाजिक असमानता में कमजोर हुई है।
- निम्न जाति एवं महिलाओं की प्राथिकता में सुधार

भारत में धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियाँ

- 1- धर्मनिरपेक्षता की निश्चित एवं सार्वभौमिक परिभाषा का अभाव।
2. राजनीतिक दलों द्वारा अपने-अपने अनुसार धर्मनिरपेक्षता का त्रुटिपूर्ण विश्लेषण।
3. धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद, धार्मिक कट्टरतावाद एवं धार्मिक नृजातीयता में वृद्धि।
4. विभिन्न धार्मिक समूहों, व्याक्तियों एवं राजनीतिक दलों की धर्मनिरपेक्षता विरोधी गतिविधियाँ
5. भारतीय समाज में मुख्यतः अल्पसंख्यक समुदायों के निरक्षरता एवं गरीबी की निरंतरता और अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना।

भारतीय समाज के लोगों में अपने धर्म
एवं परम्परा से चिपके रहने की प्रवृत्ति।

